सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 447 राँची ,गुरुवार

20 भाद्र 1936 (श०)

11 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

11 सितम्बर, 2014

विषय: झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 के अधीन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आप्त सचिव के रिक्त पद पर प्रोन्नति के प्रावधान का एक संव्यवहार हेतु शिथिलीकरण।

संख्या-05/प्रो.-08-04/2011-9141--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-8297 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली,2011 गठित है। उक्त नियमावली के नियम 10(क)(ii) एवं (ख) में आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति के प्रावधान किए गए हैं। नियम 10(क)(ii) के अनुसार आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियों के दो-तिहाई पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे निजी सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने दो वर्षों की अनधिक अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो। पुनः नियम 10(ख) में प्रावधान किया गया है कि आप्त सचिव एवं निजी सहायक ग्रेड की मूल रिक्तियों की एक-तिहाई पद क्रमशः ऐसे निजी सहायक तथा आशुलिपिक के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे,

जिन्होंने इसके लिए आवेदन करने के समय उस श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योग्यताधारी हो।

2. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 अन्तर्गत आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु नियम 10(क)(ii) के अधीन कार्रवाई करते हुए विगत वर्षों में प्रोन्नति देने की कार्रवाई की गई किन्तु नियम 10(ख) में सन्निहित प्रावधान पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है क्योंकि आप्त सचिव के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति दिए जाने के निमित्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली का गठन नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष एक-तिहाई पद को सुरक्षित रखते हुए सम्प्रति सामान्य श्रेणी में प्रोन्नति हेतु कुल 13 पद रिक्त हैं ।

3. आशुलिपिक सेवा के अधीन कार्यरत निजी सहायक वर्ष 1998 में नियुक्त हुए हैं एवं प्रसंगाधीन नियमावली में प्रोन्नति हेतु विनिर्दिष्ट अर्हताओं को धारण करते हैं । इस प्रकार लगभग 16 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी इनकी प्रोन्नति आप्त सचिव के पद पर नहीं की जा सकी है, जबकि सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु भी ये अर्हता धारण करते हैं ।

4. निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 02 वर्षों की है, जबकि इनकी सेवा 16 वर्षों की हो चुकी है और सेवा नियमावली के गठन के उपरान्त ढ़ाई वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है ।

5. आप्त सचिव के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति हेतु कर्णांकित वर्षवार एक तिहाई पद सम्प्रति रिक्त हैं जबकि 16 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने के उपरान्त भी कार्यरत निजी सहायकों को एक प्रोन्नति तक नहीं मिल पायी है । ऐसे में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति हेतु कर्णांकित पद को रिक्त रखना इस सेवा के कर्मियों के साथ ज्यादती है जबकि सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने में इन कर्मियों का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

6. आप्त सचिव के एक तिहाई रिक्त पद पर प्रोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के गठन की कार्रवाई की जा रही है किन्तु इसे अंतिम रूप से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने, कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने, आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने, परीक्षाफल प्रकाशित होने एवं आयोग की अनुशंसा पर निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के कार्यों में न्यूनतम एक से डेढ़ वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। जबकि 16 वर्षों से कार्यरत एवं 2011 से प्रोन्नति के लिए प्रतीक्षारत

निजी सहायकों को एक से डेढ़ वर्ष की और प्रतीक्षा करनी होगी जो इस सेवा के कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।

7. अतः सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति हेतु कर्णांकित वर्षवार एक तिहाई पद (सम्प्रति सामान्य श्रेणी में कुल 13 पद सुरक्षित) को एक सम्व्यवहार के लिए वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है ताकि इस सेवा के कर्मियों का मनोबल बना रहे और लम्बे समय से प्रोन्नति के लिए प्रतीक्षारत निजी सहायकों को अधिक संख्या में प्रोन्नति दी जा सके ।

8. तद्नुसार निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर नियमित प्रोन्नति देने के लिए झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 के अधीन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आप्त सचिव के रिक्त पद पर प्रोन्नति के प्रावधान का एक संव्यवहार हेतु शिथिल किया जाता है । इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस. के. शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 447–50 ।